

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञाप संख्या-2/वि.1-31/2011-...../

पटना, दिनांक/2018

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
पटना।

विषय :- विश्वामित्र महोत्सव-2018 के आयोजन के निमित्त ₹ 15,00,000/- (पंद्रह लाख रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

- 2- राशि का विकलन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग संख्या-08 के अधीन बजट शीर्ष "2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-0101-कला और संस्कृति का संवर्द्धन विपत्र कोड-08-2205001020101 के अंतर्गत विषय शीर्ष 2002 कान्फ्रेंस, कार्यशाला सेमिनार में होगा।
- 3- इस राशि की निकासी जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा जिला कोषागार, बक्सर से की जायेगी तथा विश्वामित्र महोत्सव-2018 का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 4- उक्त राशि का कार्यान्वयन प्रतिवेदन एवं व्यय विवरणी एक माह के अंदर विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 5- यह स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं संकल्प संख्या-3758 दिनांक-31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में दी गयी है।
- 6- राशि की स्वीकृति पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
(मीना कुमारी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक/ पटना, दिनांक/2018

प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
(मीना कुमारी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक/ पटना, दिनांक/2018

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
(मीना कुमारी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 840 / पटना, दिनांक 01/3/2018

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/अवर सचिव/निदेशक, (सांस्कृतिक कार्य)/उप निदेशक (कला एवं संस्कृति)/प्रशाखा पदा0-1 एवं 2/बजट सहायक/आई0टी0 मैनेजर, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
(मीना कुमारी)
सरकार के उप सचिव।

807